

## वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रतर 417 एवं 478 देखिये)

## घनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से घनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

2. पता

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

श्री गीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया  
जनपद न्यायालय औरैया।

जनपद न्यायालय औरैया।

3. पजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही घनराशि का पूर्ण विवरण (घनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5. चालान की समस्त राशि

6. चालान की निश्चित राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

राजकीय वाहन- यू0पी0 79 जी 0257 से दि. 19.05.24 से दि. 22.05.24 को बरेली जाने व आने में चली कुल 752 किमी0 में 200 किमी0 की छूट का लाभ न लेते हुए सम्पूर्ण 752 किमी0 का मुगतान रु 3.00 प्रति किमी0 की दर से कुल घनराशि 2,256/- जमा करने हेतु

0070-60-800-00

0070-60-800-00

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक

0 0 7 0

6 0

लघु शीर्षक

8 0 0

उप शीर्षक

0 0

व्योरेवार शीर्षक

घनराशि अंको में

Rs. 2,256/-

Rs. 2,256/-

घनराशि शब्दों में-(रुपये दो हजार दो सौ छप्पन मात्र)

योग-

Rs. 2,256/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

SHUBHAM NIRANJAN

24/5/24

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

अंको में

दिनांक

शब्दों में रु0

E0 05539

प्राप्त किया  
उपकोषागार/बैंक की मुहर